रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2015/ आषाढ़ 12, 1937
No. 425] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2015/ASHADHA 12, 1937

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 532(अ).—केन्द्रीय सरकार वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 12 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय वक्फ परिषद् नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय वक्फ परिषद् (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नियम, 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 11 के उपनियम (2) में,-

(क) यात्रा भत्ता शीर्षक के अधीन टिप्पण III के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

"निवास से विमानपत्तन तक या रेलवे स्टेशन तक और इन स्थानों से उस स्थान तक जहां परिषद् का अधिवेशन हो रहा हो, सड़क द्वारा यात्रा की बाबत केन्द्रीय वक्फ परिषद् के सदस्यों द्वारा यात्रा भत्ते के दावे ऐसे नियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार को अनुज्ञेय हैं।"

(ख) दैनिक भत्ता शीर्षक के अधीन खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) अधिवेशन के प्रत्येक दिन के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद् के सदस्यों द्वारा किए गए महंगाई भत्ते के दावे ऐसे नियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार को अनुज्ञेय हैं।"

3. उक्त नियमों के नियम 15 के उपनियम (i) में,-

(i) खंड (क) "50,000/-रुपए (केवल पचास हजार रुपए) तक आवर्ती व्यय" और "2,00,000/-रुपए (केवल दो लाख रुपए) तक अनावर्ती व्यय" अक्षरों, अंकों, कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर क्रमश: "1,00,000/-रुपए (केवल एक लाख रुपए) तक आवर्ती व्यय" और "5,00,000/-रुपए (केवल पांच लाख रुपए) तक अनावर्ती व्यय" अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में "20,000/-रुपए (केवल बीस हजार रुपए) तक आवर्ती व्यय" और "40,000/-रुपए (केवल चालीस हजार रुपए) तक अनावर्ती व्यय" अक्षरों, अंकों, कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर क्रमश: "50,000/-रुपए (केवल पचास हजार रुपए) तक आवर्ती व्यय" और "1,00,000/-रुपए (केवल एक लाख रुपए) तक अनावर्ती व्यय" अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण: खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक किसी व्यय को केन्द्रीय वक्फ परिषद् द्वारा मंजूर किया जाएगा और अति आवश्यकता की दशा में अध्यक्ष उसकी मंजूरी दे सकेगा जिसे वस्तुत: पश्चातवर्ती अनुसमर्थन के लिए परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।"

[फा. सं. 8/2/2014-वक्फ]

राकेश मोहन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 के उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 593(अ), तारीख 30 सितंबर, 1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 240(अ), तारीख 22 मार्च, 2012 और सा.का.नि. सं. 693(अ), तारीख 25 सितंबर, 2014 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2015

G.S.R. 532(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 12 of the Waqf Act 1995 (43 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Waqf Council Rules, 1998, namely:-

1. (1) These Rules may be called the Central Waqf Council (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 11 of the Central Waqf Council Rules, 1998 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (2),-

(a) under the heading *Travelling Allowance,* for Note III, the following Note shall be substituted, namely:-

"III. In respect of journeys by road from residence to the airport or railway station and from these points to the place where a meeting of the Council is being held, the claims for travelling allowance by the members of Central Waqf Council shall be regulated in accordance with the such rules as are admissible to the Joint Secretary to the Government of India."

(b) under the heading *Daily Allowance,* for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) for each day of the meeting, the claims for dearness allowance by the members of Central Waqf Council shall be regulated in accordance with the such rules as are admissible to the Joint Secretary to the Government of India."

3. In rule 15 of the said rules, in sub-rule (i),-

(i) in clause (a), for the letters, figures, brackets and words "Rs.50,000 (Rupees fifty thousand only)" and "Rs.2,00,000 (Rupees two lakh)", the letters, figures, brackets and words "Rs.1,00,000 (Rupees One Lakh)" and "Rs.5,00,000 (Rupees five lakh)" shall respectively be substituted;

(ii) in clause (b), for the letters, figures, brackets and words "Rs.20,000 (Rupees twenty thousand only)" and "Rs.40,000 (Rupees forty thousand)", the letters, figures, brackets and words "Rs.50,000 (Rupees fifty thousand)" and "Rs.1,00,000 (Rupees one lakh)" shall respectively be substituted.

(iii) after clause (b), the following Note shall be inserted, namely :-

"Any expenditure exceeding the limites specified in clause (a) or clause (b) shall be sanctioned by the Central Waqf Council and in case of urgency, the Chairperson may sanction the same which shall be brought before the Council for ratification post facto."

[F. No. 8/2/2014-Wakf]

RAKESH MOHAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 593, dated the 30th September, 1998 and subsequently amended vide number G.S.R. 240(E), dated the 22nd March, 2012 and number G.S.R. 693(E), dated the 25th September, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.